



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-13012026-269318
CG-UP-E-13012026-269318

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]
No. 168]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSA 23, 1947

रेल मंत्रालय
[उत्तर मध्य रेलवे (इंजीनियरिंग विभाग)]
अधिसूचना
प्रयागराज, 2 जनवरी, 2026

का.आ. 178(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपावद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले के तहसील ललितपुर में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् “झाँसी—बीना खंड पर किमी संख्या 1074/8—10 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 341 के स्थान पर 2 लेन आरओबी का निर्माण।” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्यासि अधिकारी, ललितपुर, उत्तरप्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपर्युक्त किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विशिष्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20वीं के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य व्योरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कायालिय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना “झाँसी-बीना खंड पर किसी संख्या 1074/8-10 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 341 के स्थान पर 2 लेन आरओबी का निर्माण।” के लिए ललितपुर जिले के ललितपुर तहसील में अधिग्रहण की जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्लाट सं०	क्षेत्रफल (हेक्टर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	तालबेहट	तरगुवां	1005 मि	0.180
2			1006 मि	0.194
3			1060	0.019
4			1058 / 2	0.034
5			1007	0.156
6			1015 मि	0.040
7			999 मि	0.020
8			1000	0.042
9			864 / 3	0.036
10			865	0.445
			कुल योग	1.166

[फा. सं. एन.सी.आर.-एच.क्यू.शून्य.ई.एन.जी. जी.(बी. आर. आई. डी.)/32/2024-ओ/ओ डी.वाई.सी. ई./ बी. आर./
एल./जे. एच. एस.(कम्प्यूटर क्र. 115685)]
जे. सी. चौरसिया, प्रमुख मुख्य इंजीनियर

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Engineering Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 2nd January, 2026

S.O. 178(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, “**Construction of 2 lane ROB in lieu of L-xing No. 341 at km 1074/8-10 on VGLJ-BINA section of N.C. Railway**” in the district of Lalitpur in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Special Land Acquisition officer (SLAO), Lalitpur, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDEULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely “**Construction of 2 lane ROB in lieu of L-xing No. 341 at km 1074/8-10 on VGLJ-BINA section of N.C. Railway**” under **Lalitpur Tehsil of Lalitpur District** in the state of Uttar Pradesh.

SL.No.	Tehsil	Village name	Plot No	Area in Hec.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Talbehat	Targuwan	1005 Mi	0.180
2			1006 Mi	0.194
3			1060	0.019
4			1058/2	0.034
5			1007	0.156
6			1015 Mi	0.040
7			999 Mi	0.020
8			1000	0.042
9			864/3	0.036
10			865	0.445
			Total	1.166

[F. No. NCR-HQ0ENGG (BRID)/32/2024-O/o Dy.CE/Br/L/JHS (Computer No. 115685)]

J.C. CHAURASIA, Principal Chief Engineer